400

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सदस्य महोदय ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

Rs.30/-

R 5438-III/16

मैशा प्रसाद साहू तनय श्री भरोसा साहू उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम चचाई तहसील- ब्यौहारी, जिला- शहडोल (म0प्र0) ----------निगरानीकर्ता

बनाम

शुभेन्द्र सिंह पिता श्री बुद्धराज सिंह निवासी ग्राम नादो, थाना - देवलौंद, तहसील- ब्यौहारी, जिला - शहडोल (म0प्र0) -------गैर निगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री आर.एन. साहू द्वारा प्रस्तुत। 29-9-16

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल खाड तहसील-ब्यौहारी, जिला शहडोल म0प्र0 राजस्व प्रकरण क्रमांक- 11अ-12/15-16. आदेश दिनांक- 13/5/2016 .

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-रा0सं0 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

(01) यहकि राजस्व निरीक्षक मण्डल खाड, तहसील-ब्यौहारी, जिला शहडोल (म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक-11अ-12/2015-2016, आदेश दिनांक - 13/5/2016 विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध होने से काबिल निरस्त योग्य है।

(02) यहकि भूमि खसरा क्रमांक-29/5/क रकबा 0.607 हे0, एवं खसरा क्र0-29/8 रकबा-0.202 हे0, स्थित ग्राम नादौ, पटवारी हल्का अनहरा, राजस्व निरीक्षक मण्डल खाड़, तहसील-ब्यौहारी, जिला - शहडोल (म0प्र0) के मालिक भूमि स्वामी निगरानीकर्ता है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक – 5438-दो/2016

जिला- शहडोल

महेश प्रसाद विरूद्ध शुभेन्द्र सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.एन. साहू उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल खाड़, तहसील ब्यौहारी, जिला- शहडोल के प्रकरण क्रमांक 11/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 13-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 23/01/19 सदस्य	